

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.19(5)न्याय/2011

जयपुर, दिनांक 15.6.2020

::आज्ञा::

माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित न्यायिक अधिकारियों द्वारा वर्ष 2021 में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(6)वित्त/रूल्स/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में कॉलम संख्या 5 में वर्णित दिनांक को अपरान्ह से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

S.N	NAME OF OFFICER SARVA SHRI/MS.	CADRE	DATA OF BIRTH	DATE OF RETIREMENT	UID NUMBER
1.	DEVENDRA JOSHI	DJ	31.03.1961	31.03.2021	RJ0047
2.	ARUN GUPTA	DJ	27.07.1961	31.07.2021	RJ0055
3.	ANOOP KUMAR SAXENA	DJ	04.07.1961	31.07.2021	RJ0057
4.	RAJESH NARAIN SHARMA	DJ	01.05.1961	30.04.2021	RJ0059
5.	GIRISH KUMAR SHARMA	DJ	10.08.1961	31.08.2021	RJ0095
6.	PHOOL SINGH TOMER	DJ	07.04.1961	30.04.2021	RJ0192
7.	URMILA VERMA	DJ	22.07.1961	31.07.2021	RJ0146
8.	LAXMAN DUTT KIRADOO	DJ	15.06.1961	30.06.2021	RJ0193
9.	DEEP CHANDRA JOSHI	DJ	17.03.1961	31.03.2021	RJ0224
10.	SAHAB RAM MOTYAR	DJ	13.09.1961	30.09.2021	RJ0249
11.	GAMBHIR SINGH	DJ	25.08.1961	31.08.2021	RJ0285
12.	PREM PRAKASH GUPTA	DJ	10.09.1961	30.09.2021	RJ0270
13.	AJAY SHARMA-I	DJ	01.07.1961	30.06.2021	RJ0291
14.	SIDDHESHWAR PURI	DJ	28.09.1961	30.09.2021	RJ0356

उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत आज दिनांक तक कोई विभागीय जाँच लम्बित नहीं है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

15.6.2020
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक 795 दिनांक 18.02.2020 एवं 1175 दिनांक 15.04.2020 के क्रम में।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, विधुत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

15.6.2020
संयुक्त शासन सचिव